...की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
1	2	3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या 10/2013–14

अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज –बनाम– मो0 आशा देवी वगैरह

–: आदेश :–

07.5.2019 – यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 844/आ0, दिनांक 13.11.2013 द्वारा साहेबगंज नगर थाना कांड सं0 143/2013 दिनांक 20.06.2013 में जप्त 90 (नब्बे) किलोग्राम चावल एवं 50 (पचास) किलोग्राम नमक को अधिहरित (राज्यसात) करने का प्राप्त प्रस्ताव पर आरम्भ किया गया।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:– प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, साहेबगंज द्वारा दिनांक 20.06.2013 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता फूड प्रोसेसिंग समिति गोढ़ी टोला, महादेवगंज अनुज्ञप्ति संख्या 112/2009 के दुकान का सत्यापन करने के क्रम में पाया गया कि उक्त विक्रेता द्वारा 39.90 (उनचालीस क्वींटल नब्बे किलोग्राम) अतिरिक्त योजना के चावल को कालाबाजारी में बेच दिया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 का खुलेआम उलंघन है।

प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है कि 39.90 क्वींटल चावल की कालाबाजारी करने के आरोप में फुड प्रोसेसिंग समिति, गोढ़ी टोला, महादेवगंज अनुज्ञप्ति संख्या 112/2009 के अध्यक्ष मो0 आशा देवी, सचिव शर्मिला देवी, कोषाध्यक्ष रीना देवी को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 तहत प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त बनाया गया।

जाँच के क्रम में निम्न सामग्री को जप्त कर जप्ती सूची तैयार कर जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या 41/2009 महादेवगंज के पुतुल देवी को जिम्मेनामा पर दिया गया, जो निम्न प्रकार है:–

1. जूट के 03 (तीन) बोरा में 30 (तीस) किलोग्राम के दर से कुल 90 (नब्बे) किलोग्राम चावल।
2. जूट का 03 (तीन) खाली बोरा।
3. प्लास्टिक के एक बोरा में 50 (पचास) किलाग्राम नमक।
4. अल्मुनियम मेडियत (मझला तसला) 01 (एक)।
5. किरासन तेल डालने का प्लास्टिक टीप 01 (एक)।
6. प्लास्टिक मग छोटा 01 (एक)।
7. कांटा–पल्ला एवं बटखारा 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 खाली किरासन तेल ड्राम, ड्राम का कटा हुआ आधा भगग, जिसमें तेल नामा जाता है, 1 प्लास्टिक पाईप।

सभी सामग्री जप्त करते हुए अनुरोध किया है कि जप्त सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) के अन्तर्गत अधिहरित (राज्यसात) करने की कार्यवाही की जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा भेजे गये प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों तथा जप्ती सूची का अवलोकन कर संतुष्ट होते हुए अभियुक्तगण से कारण पृच्छा की माँग की गई कि क्यों नहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) के अन्तर्गत उक्त जप्त 90 (नब्बे) किलोग्राम चावल एवं 50 (पचास) किलाग्राम नमक को अधिहरित (राज्यसात) कर लिया जाय तथा भंडार के 39.90 (उनचालीस क्वींटल नब्बे किलोग्राम) चावल को कालाबाजारी के आरोप में अनुज्ञप्ति संख्या 112/2009 को रद्ध करने की कार्रवाई की जाय। साथ ही 90 (नब्बे) किलोग्राम चावल एवं 50 (पचास) किलोग्राम नमक को क्षति से रोकने हेतु प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, साहेबगंज को नियमानुसार बिक्री कर बिक्री राशि जिला आपूर्ति नजारत शाखा,

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

साहेबगंज में जमा कर नाजीर रसीद की प्रति न्यायालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

विपक्षीगण को पूर्व में ही अंतिम मौका दिया गया। सुनवाई की तिथि को विपक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित पाये गये तथा कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है।

सरकार की ओर से लोक अभियोजक को सुना। उनका कथन है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। जप्त सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) के अन्तर्गत अधिहरित करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षीगण के अभिरूचि के अभाव में जप्त सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत अधिहरित किया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि नाजीर संख्या 1311034 जिल्द संख्या 2621 द्वारा जमा जप्त सामग्री की विकी राशि कुल 837.00 (आठ सौ सैतीस) रूपये उचित शीर्ष में जमा करेंगे।

इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

07/05/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

07/05/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।